

जयपुर मेट्रो विस्तार से कम होगा शहर का ट्रैफिक दबाव : भजनलाल शर्मा

राजधानी जयपुर की तेजी से बढ़ती जनसंख्या और यातायात को देखते हुए मेट्रो का विस्तार अत्यंत आवश्यक : मुख्यमंत्री

जयपुर (कासं)। प्रदेश में सुगम और अत्याधुनिक परिवहन तंत्र विकसित करने की दिशा में राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में जयपुर मेट्रो विस्तार परियोजना की समीक्षा बैठक ली।

उन्होंने कहा कि जयपुर की बढ़ती जनसंख्या

■ **जयपुर मेट्रो फेज-2 की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट राज्य सरकार ने मंजूर कर केंद्र सरकार को भेजी है, वहां से मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य शुरू होगा**

■ **परियोजना में 42.80 किलोमीटर लंबे रूट पर 36 स्टेशन प्रस्तावित हैं। इनमें 34 एलीवेटेड तथा 2 अंडरग्राउंड स्टेशन शामिल होंगे।**

और यातायात को देखते हुए मेट्रो का विस्तार अत्यंत आवश्यक है। इससे न केवल शहरवासियों



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को जयपुर मेट्रो विस्तार परियोजना की समीक्षा बैठक ली। इस मौके पर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी, बल्कि ट्रैफिक दबाव भी काफी हद तक कम होगा। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जयपुर मेट्रो फेज-2 की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) राज्य सरकार द्वारा मंजूर कर केंद्र को भेज दी गई है। मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। परियोजना में 42.80 किलोमीटर लंबे रूट पर 36 स्टेशन प्रस्तावित हैं। इनमें 34 एलीवेटेड तथा 2 अंडरग्राउंड स्टेशन शामिल होंगे।

फेज-2 सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया, वीकेआई, जयपुर एयरपोर्ट, जयपुर रेलवे स्टेशन,

संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो और जनता को दीर्घकालीन सुविधा मिल सके। बैठक में मेट्रो परियोजना के फेज-श्री ए, बी और सी के प्रस्तावित मार्गों पर भी विस्तृत चर्चा की गई। अधिकारियों ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से आगे की योजनाओं, तकनीकी पहलुओं और लागत का विवरण साझा किया।बैठक के दौरान मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को मेट्रो विस्तार कार्य में तेजी लाने और इसे समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए।

हाईकोर्ट ने प्रमुख कार्मिक सचिव और ए.सी.एस. पीएचईडी को तलब किया

लेबर कोर्ट के आदेश की पालना नहीं करने वाले अफसरों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति नहीं देने पर जताई नाराजगी

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने लेबर कोर्ट के आदेश की पालना नहीं करने वाले अफसरों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी करने के संबंध में पेश प्रार्थना पत्र पर सात साल में भी कार्रवाई नहीं करने पर नाराजगी जताई है।

इसके साथ ही अदालत ने प्रमुख कार्मिक सचिव और अतिरिक्त मुख्य पीएचईडी सचिव को 28 नवंबर को तलब किया है। अदालत ने दोनों अफसरों से पूछा है कि कार्मिक विभाग सात साल से इस प्रार्थना पत्र को लेकर क्यों बैठा है। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश मुकर्म ह्रुसैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कार्मिक विभाग के काम करने का यह धीमा तरीका औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 29 के मकसद को नाकाम कर रहा है और इसके चलते लेबर कोर्ट के फैसले लागू नहीं हो पा रहे हैं। इसके साथ ही अदालत ने कार्मिक विभाग के रवैये पर नाराजगी भी जताई है। याचिका में अधिवक्ता सीपी शर्मा ने

अदालत को बताया कि लेबर कोर्ट ने 28 मार्च, 2017 को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को 1 अप्रैल, 1982 से अर्ध स्थाई करने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद भी लेबर कोर्ट के आदेश की पालना नहीं की गई।

इस पर याचिकाकर्ता ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 29 के तहत लेबर कमिश्नर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया। लेबर कमिश्नर ने 5 मार्च, 2018 को कार्मिक विभाग को पत्र लिखकर दोषी अफसरों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी करने को कहा। याचिका में कहा गया कि करीब सात साल का समय बीतने के बाद भी कार्मिक विभाग की ओर से लेकर कमिश्नर के पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

विभाग के इस रवैये के चलते ही लेबर कोर्ट के अवार्ड की पालना नहीं हो रही है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों अधिकारियों को पेश होकर इस संबंध में स्पष्टीकरण देने को कहा है।

पुलिया पर चलते ट्रक में आग

जयपुर। झोटवाड़ा इलाके में स्थित दादी का फाटक पुलिया पर अचानक से चलते ट्रक में आग लग गई। काफी धुंआ निकलता देख ट्रक चालक ने जैसे-तैसे ट्रक को साइड में लागाया और कूद कर अपनी जान बचाई। जिसके बाद पुलिया पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया।

बताया जा रहा है कि सोमवार दोपहर करीब पौने तीन बजे के आसपास दादी का फाटक पुलिया पर चलते ट्रक में अचानक से आग लग गई। गनीमत रही ट्रक अमेजन कंपनी का सामान लेकर आया था और पास ही में उसे खाली कर वापस लौट रहा था। खाली ट्रक में आग लगने से बड़ा हादसा टल गया। दादी का फाटक पुलिया से उतरते वक्त ट्रक के इंजन में धुंआ निकलने लगा और देखते ही आग केबिन में जा पहुंची। तभी ट्रक चालक ने ट्रक को साइड में रोका और नीचे कूद कर जान बचाई।

इंटरनेशनल कबड्डी फैडरेशन में गबन को लेकर एफआईआर दर्ज के आदेश से इनकार

■ **अतिरिक्त सिविल न्यायालय ने परिवादी को साक्ष्य के लिए बुलाया**

जयपुर (कासं)। अतिरिक्त सिविल न्यायालय क्रम-15 महानगर द्वितीय ने इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन में पांच करोड़ रुपए के कथित गबन से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश देने से इनकार किया है। इसके साथ ही अदालत ने परिवादी को कहा है कि वह अदालत में पेश होकर अपनी साक्ष्य पेश करे। अदालत ने यह आदेश सुनील कुमार के परिवाद पर दिए। परिवाद में आईकेएफ के निदेशक ज्ञानेश्वर कासनी और तेजस्वी सिंह को आरोपी बनाया गया है।

परिवाद में अधिवक्ता अनिल चौधरी ने बताया कि कबड्डी की राष्ट्रीय संस्था एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया है। जबकि इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन,

श्री सत्य साई कॉलेज में आयोजन

जयपुर (कासं)। श्री सत्य साई पी. जी. महिला महाविद्यालय में भगवान सत्य साई बाबा का 100वां जन्मोत्सव बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान महाविद्यालय में बाबा के आकर्षक चित्रों की प्रदर्शनी तथा रंगोली से सजावट की गई। इससे पूर्व प्रभात फेरी भी निकाली गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा नेता अधिवक्ता डॉ. अखिल शुक्ला ने कहा कि बाबा के प्रमुख चार स्तम्भ को सभी को जीवन में जनहितार्थ आत्मसात करना होगा। उन्होंने भोजन, धन, समय और ऊर्जा की बर्बादी ना करने का सन्देश दिया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजसेवी सरोज खेमका ने की।

विशिष्ट अतिथि के रूप में कॉलेज प्रबंध समिति के अधिवक्ता अलकेश शर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम संयोजक कॉलेज की प्राचार्या डॉ. कमलेश शर्मा ने बताया कि छात्राओं एवं शिक्षिकाओं द्वारा पूर्ण भक्तिभाव से साई भजन एवं आरती का सामूहिक गायन किया। कार्यक्रम को सील भी किया।

विशिष्ट शिक्षिकाओं व मेधावी छात्राओं का सम्मान भी किया गया।

■ **अतिरिक्त सिविल न्यायालय ने परिवादी को साक्ष्य के लिए बुलाया**

फेडरेशन न होकर कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी है। जिसमें दोनों आरोपी निदेशक हैं। कंपनी को साल 2015 से 2024 तक स्टार टीवी ने कुल 18 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इसमें से सात करोड़ रुपए खेल विकास फंड के नाम पर दिए गए। जबकि यह राशि एकेएफआई को दी जानी चाहिए थी। सीएजी की ओर से ऑडिट कराने का प्रावधान आईकेएफ पर लागू नहीं होते, जिसका दुरुपयोग कर

फंड का गबन किया गया है। इसके अलावा इस कंपनी में विश्व की किसी भी कबड्डी की राष्ट्रीय फेडरेशन सदस्य नहीं है। कंपनी की ओर से विश्व कप करने की शर्त भी अनुबंध में फर्जी डाली गई है, क्योंकि कंपनी ने कोई वलुड कप नहीं कराया है।

परिवाद में कहा गया कि खेल विकास फंड में प्राप्त सात करोड़ रुपए में से दो करोड़ रुपए का खर्च का हवाला कंपनी की बैलेंस शीट में है, लेकिन शेष राशि का गबन किया गया है। वहीं विभिन्न मर्दों में भी अनावश्यक खर्चा दिखाया गया है। ऐसे में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने परिवादी को अपनी साक्ष्य पेश करने को कहा है।

11 बीघा कृषि भूमि पर बसाई जा रही तीन कॉलोनियां ध्वस्त

जयपुर (कासं)। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने 11 बीघा कृषि भूमि पर बसाई जा रही 3 अवैध कॉलोनिियों को ध्वस्त किया। इसके साथ ही गायत्री नगर में बिना अनुमति बनाए जा रहे बेसमेंट समेत 3 मंजिला अवैध निर्माण को सील भी किया।

उप महानिरीक्षक पुलिस राहुल कोटोकी ने बताया कि अजमेर रोड पर बगरू में जेडीए की अनुमति और कृषि भूमि के रूपांतरण करवाए बिना ही 3 बीघा निजी खातेदारी की जमीन पर “दुर्गा विहार” स्कीम काटी जा रही थी। काश्तकार और भूखंड मालिकों ने यहां मिट्टी ग्रेवल की रोड, सीमेंट के ब्लॉक्स की सड़के, कोठरी व अन्य निर्माण कर लिए थे।

इसी प्रकार ग्राम बेगस में 4 बीघा कृषि भूमि पर “सालासर सिटी” तथा गोपालपुरा बाईपास, मैट्रो स्टेशन, द्रव्यवती नदी के पास 4 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने की तैयारी चल रही थी। यहां भी प्लॉट्स की बाउंड्रीवाल, ग्रेवल रोड व

■ **बगरू, बेगस तथा द्रव्यवती नदी क्षेत्र में निजी खातेदारी की जमीन पर बसाई जा रही थी अवैध कॉलोनियां**

■ **गायत्री नगर में भी जेडीए की अनुमति के बिना बनाई जा रही बेसमेंट समेत 3 मंजिला इमारत सीज**

अन्य निर्माण कर लिए गए थे। सभी जगहों पर जेडीए टीम ने जेसीबी मशीन और मजदूरों को मदद से तोड़फोड़ की कार्रवाई कर अवैध निर्माण ध्वस्त किए। जौन-5ए में स्थित गायत्री नगर के प्लॉट नं. 165 की जमीन पर बेसमेंट समेत 3 मंजिला अवैध निर्माण किया जा रहा था, जिसे भी जेडीए ने सील किया है।

गीतों ने घोली माटी की सौंधी महक

जयपुर । संगीत संस्थान संस्थान का दो दिवसीय संगीत समारोह सोमवार को यहां शास्त्रीनगर स्थित साईंसपार्क ऑडिटोरियम में शुरू हुआ।

कार्यक्रम में लोक कलाकारों ने माटी में रचे-बसे गीतों की सुरीली जाजम सजाई। गिटारिस्ट वत्सल अनुपम के निर्देशन में सजी लोक संगीत की शाम में लोक कलाकार सरवर मीरासी और फरहान खान ने अपनी आंसदार आवाज और खडताल जैसे साज के साथ कई लोकगीतों की सलोनी प्रस्तुतियों से माहौल में माटी की सौंधी महक घोल दी।

लोककलाकार सरवरी मीरासी ने केसरिया बालम आवोनी...समेत दमदार मस्त कलंदर... महारो रंग रंगीलों राजस्थान..., सादगी तो महारो...जैसे लोकगीतों की कर्णप्रिय प्रस्तुति से मौजूद श्रोताओं के मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में तबले पर मोहसिन खान समेत खडताल पर याकूब खान, शब्बीर खान ने दमदार संगत कर कार्यक्रम की रौनक बढ़ा दी।

मुख्यमंत्री ने सुनी लोगों की परिवेदनाएं

आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करें अधिकारी : भजनलाल शर्मा

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार जवाबदेहिता एवं पारदर्शिता से कार्य करते हुए सुशासन की ओर अग्रसर है। सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों, नवाचारों एवं योजनाओं का प्रमुख ध्येय अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। जनसुनवाई भी इसी लक्ष्य की ओर बढ़ता एक मजबूत कदम है। मुख्यमंत्री नियमित रूप से इस जनसुनवाई में लोगों की समस्याओं का समाधान कर उन्हें राहत दे रहे हैं।

शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर जनसुनवाई की। उन्होंने इस दौरान आमजन की परिवेदनाओं को संवेदनशीलता के साथ सुने हुए अधिकारियों को उन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसुनवाई में परिवादी उम्मीद के साथ आते हैं। ऐसे में अधिकारी इन प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इनका शीघ्र निस्तारण करें।

शर्मा ने जनसुनवाई में बड़ी संख्या में आई महिलाओं, दिव्यांगों,



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को अपने निवास पर लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी।

बुजुर्गों सहित विभिन्न लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। आमजन अपनी परिवेदनाओं के निस्तारण से बेहद संतुष्ट नजर आए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए

कि परिवादियों को जल्द से जल्द राहत दी जाए। साथ ही, लंबित प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए इसका शीघ्र समाधान करें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रकरणों के निस्तारण

■ **मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रकरणों के निस्तारण में किसी भी तरह की लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही होगी**

में किसी भी तरह की लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही की जाए।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, श्रम, कृषि, गृह, राजस्व, पशुपालन, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल सहित विभिन्न विभागों की आमजन से जुड़ी परिवेदनाओं को सुना और उनका मौके पर ही निस्तारण किया। इस दौरान शर्मा ने विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर विमोचन भी किए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और आमजन उपस्थित रहे।